



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022023-243588
CG-DL-E-14022023-243588

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]
No. 81]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2023/माघ 25, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2023/MAGHA 25, 1944

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 98(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार **छत्तीसगढ़** सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची II में, -

(क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित -भाग क में, प्रथम कॉलम में आने वाली "छत्तीसगढ़" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“छत्तीसगढ़

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
कृषि उत्पादन आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
सरकार के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
महानिदेशक प्रशासनिक अकादमी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
एचसीएम के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सदस्य राजस्व बोर्ड	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
श्रम आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आवकारी आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, जनजातीय विकास	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, उद्योग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मण्डल आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, कृषि	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, परिवहन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, भू-अभिलेख	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, जनसंपर्क	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14”

(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में छत्तीसगढ़ के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, -

क्लेक्टर
कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए एवं पदेन सीईओ, जिला पंचायत/अपर क्लेक्टर
नगर निगम आयुक्त
सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव
निदेशक, सार्वजनिक अनुदेश
निदेशक, महिला एवं बाल विकास
निदेशक, शहरी प्रशासन
निदेशक, पंचायत एवं समाज कल्याण
निदेशक, नागरिक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता सुरक्षा
सचिव, लोक सेवा आयोग
निदेशक, कोषागार और लेखा

निदेशक, संस्थागत वित्त
निदेशक, बजट
निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा
अपर संभागीय आयुक्त”

[फा. सं. 11031/03/2021 -अ.भा.से.-II (ख)]

कुलदीप चौधरी, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान नियम, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि.सं. 870(अ) के माध्यम से भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	जीएसआर संख्या	तारीख
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178 (अ)	27.12.2016
3.	1194 (अ)	30.12.2016
4.	575 (अ)	12.06.2017
5.	1382 (अ)	10.11.2017
6.	1429 (अ)	17.11.2017
7.	1585 (अ)	22.12.2017
8.	566 (अ)	15.06.2018
9.	819 (अ)	28.08.2018
10.	1124 (अ)	16.11.2018
11.	1222 (अ)	19.12.2018
12.	218 (अ)	13.03.2019
13.	766 (अ)	09.10.2019
14.	813 (अ)	30.12.2020
15.	51 (अ)	28.01.2021
16.	108 (अ)	09.02.2021
17.	465 (अ)	01.07.2021
18.	928 (अ)	31.12.2021
19.	182 (अ)	09.03.2022
20.	441 (अ)	10.06.2022
21.	619 (अ)	05.08.2022
22.	930 (अ)	30.12.2022

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2023

G.S.R. 98(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Chhattisgarh** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—
 - (a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “**Chhattisgarh**” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

“Chhattisgarh

Chief Secretary	Level 17 in the pay matrix
President, Board of Revenue	Level 17 in the pay matrix
Agriculture Production Commissioner	Level 17 in the pay matrix
Principal Secretary to Government	Level 15 in the pay matrix
Director General Administrative Academy	Level 15 in the pay matrix
Principal Secretary to HCM	Level 15 in the pay matrix
Chief Electoral Officer	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Member, Board of Revenue	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Commercial Taxes	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Govt. of Chhattisgarh, New Delhi	Level 14 in the pay matrix
Registrar, Co-operative Societies	Level 14 in the pay matrix
Labour Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Excise Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Tribal Development	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Industries	Level 14 in the pay matrix
Development Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Divisional Commissioners	Level 14 in the pay matrix
Commissioner Agriculture	Level 14 in the pay matrix
Commissioner Transport	Level 14 in the pay matrix
Commissioner Land Records	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Health Services	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Public Relation	Level 14 in the pay matrix”

- (b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Chhattisgarh the following shall be substituted,—

Collector
Executive Director, DRDA and Ex-officio, CEO, District Panchayat / Additional Collector
Municipal Commissioner
Additional Secretary/Joint Secretary/ /Deputy Secretary to Government

Director, Public Instruction
Director, Women and Child Development
Director, Urban Administration
Director, Panchayat & Social Welfare
Director, Food Civil Supplies & Consumer Protection
Secretary, Public Service Commission
Director, Treasuries & Accounts
Director, Institutional Finance
Director, Budget
Director, Local Fund Audit
Additional Divisional Commissioner”

[F. No. 11031/03/2021-AIS-II (B)]

KULDEEP CHAUDHARY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 870 (E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following GSR No. and date:-

S. No.	GSR No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178 (E)	27.12.2016
3.	1194 (E)	30.12.2016
4.	575 (E)	12.06.2017
5.	1382 (E)	10.11.2017
6.	1429 (E)	17.11.2017
7.	1585 (E)	22.12.2017
8.	566 (E)	15.06.2018
9.	819 (E)	28.08.2018
10.	1124 (E)	16.11.2018
11.	1222 (E)	19.12.2018
12.	218 (E)	13.03.2019
13.	766 (E)	09.10.2019
14.	813(E)	30.12.2020
15.	51(E)	28.01.2021
16.	108(E)	09.02.2021
17.	465(E)	01.07.2021
18.	928 (E)	31.12.2021
19.	182 (E)	09.03.2022
20.	441 (E)	10.06.2022
21.	619 (E)	05.08.2022
22.	930 (E)	30.12.2022

